रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236682
CG-DL-E-17062022-236682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2670] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
No. 2670] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 2807(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और उस पर निर्भर सहबद्धों के कंप्यूटर संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना होने के नाते एकीकृत भुगतान इंटरफेस, तुरंत भुगतान सेवा और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संरक्षित प्रणालियां घोषित करती है और निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

(क) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्राधिकृत कोई अभिहित कर्मचारी;

(ख) संविदा द्वारा प्रबंध की गई सेवा-प्रदाता के दल का कोई सदस्य या तृतीय पक्षकार विक्रेता जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया है; और

(ग) मामला दर मामला के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी कार्मिक, संपरीक्षक और पणधारी ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. एए-11018/2/2021-सीएल एंड ईएस]

डा. राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 2807(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Unified Payments Interface, Immediate Payment Service and National Financial Switch, being Critical Information Infrastructure of the National Payments Corporation of India, and the computer resources of its associated dependencies to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely: -

(a) any designated employee of the National Payments Corporation of India authorised by the National Payments Corporation of India to access the protected system;

(b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised by the National Payments Corporation of India for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, government official, auditor and stakeholder authorised by the National Payments Corporation of India on case to case basis.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. AA-11018/2/2021-CL&ES]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.17 22:44:08 +05'30'